

#1155

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ़ ( राजस्थान )  
( पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल निम्वाहेडा )  
धारा अन्तर्गत -136 तैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 083 / 2025 दायर दिनांक 9 / 10 / 2025 निर्णय दिनांक 27/10/2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

रिपोर्ट

क.स.	नाम	ग्राम	खाता नम्बर	महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बड़ादा राज0 शै0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी 1. नन्दराम पिता छांगा जाट सा. देह खातेदार साहिन बड़ादा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पाण्डोली स्थान	शुद्ध प्रविष्टी 1. नन्दराम पिता छांगा जाट सा. देह खातेदार साहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पाण्डोली स्थान	हस्ताक्षर गिरदावर हस्ताक्षर मोहर	हस्ताक्षर तहसीलदार नय हस्ताक्षर तहसीलदार नय	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू. सा. अधि.1956 की धारा 136 के अन्वये अनुरार राजस्व रिकार्ड में ग्राम परसाखेडा पटवार मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 14 में वर्तमान प्रविष्टी बड़ादा राज0शै0 ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जानें का आदेश दिया जाता है।
------	-----	-------	------------	--	--	-------------------------------------	--	---

पटवार  
हस्ताक्षर  
तहसीलदार  
चिताउगढ़ ( रज )

सहायक कलक्टर  
( उपखण्ड अधिकारी )  
कपासन जिला-चितौडगढ़

